फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

गणपत वगै0 बनाम ओमप्रकाश वगै0

नं0 :— 192/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11.02.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली प्रार्थना पत्र आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओ को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम राम्यावाला, पटवार हल्का राम्यावाला, तहसील आंधी जिला जयपुर में कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 144 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा हाल नवीन खसरा नम्बर 206 रकबा 3.00है0 अनुसार प्रार्थीगण के सहखातेदारी भूमि स्थित चली आ रही है तथा खसरा नम्बर 206 रकबा 3.00है0 साबिक खसरा नम्बर 145 अनुसार अप्रार्थीगण सं0 1 ता 13 के खातेदारी मे एवं खसरा नम्बर 208 रकबा 4.86है0 भूमि साबिक खसरा नम्बर 146 अनुसार अप्रार्थीगण 14 ता 20 के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। उक्त वर्णितानुसार खसरा नम्बरान के राजस्व नक्शों में हाल सैटलमेंट कार्यवाही के दौरान साबिक राजस्व नक्शों व प्रार्थीगण के मौके पर पुराने कब्जे काश्त व हक अधिकार खातेदारी एवं रकबा बरारी के विरूद्व त्रुटिपूर्ण नक्शा तरमीम होने से आगे विवादित आराजीयात है। राजस्व विभागीय कार्यवाही के दौरान खसरा नम्बर 208 का राजस्व नक्शा रकबा 4.86है0 से बढाकर नक्शें में तरमीम कर दिया गया, जबकि खसरा नम्बर 208 को रकबा बरारी अनुसार तरमीम करना चाहिए था, जिसके अनुसार ही मुताबिक रकबा खसरा नम्बर 207 रकबा 3.00है0 भूमि एवं मुताबिक रकबा बरारी खसरा नम्बर 206 रकबा 3.00है0 भूमि को राजस्व नक्शें में तरमीम करना चाहिए। अतः पक्षकारो के खातेदारी एवं मौके पर प्रार्थीगण के कब्जे व नजरी नक्शे को मध्य नजर रखते हुए निर्णय किया जाकर ग्राम राम्यावाला में वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 144, 145, 146 के नवीन खसरा नम्बर 206 रकबा 3.00है0, 207 रकबा 3.00है0, 208 रकबा 4.86है0 के राजस्व नक्शों को खातेदारी के रकबा बरारी अनुसार तरमीम करने के आदेश दिया जावें एवं तदानुसार राजस्व नक्शों में दुरूस्तीकरण करने के आदेश दिये जावें। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र नक्शा तरमीम दुरूस्ती का न होकर सीमा घोषणा का प्रकरण बनाता है। अतः प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम राम्यावाला में स्थित भूमि साबिक खसरा नम्बर 144, 145, 146 के नवीन खसरा नम्बर 206 रकबा 3.00है0, 207 रकबा 3.00है0, 208 रकबा 4.86है0 के राजस्व नक्शों को खातेदारी के रकबा बरारी	

अनुसार तरमीम कर राजस्व नक्शों में दुरूस्तीकरण करने के
निवेदन किया है। जबकि उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि पर प्रकरण
नक्शा दुरूस्ती का नही होकर सीमा घोषणा का है। अतः प्रार्थीगण
द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज0
राजस्व अधिनियम को खारिज किया जाता है तथा प्रार्थीगण धारा
89 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत कर अनुतोष
प्राप्त कर सकता है।

निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति
दाखिल दफतर हों।